संख्या-५५७/VI-I/2009-2(28)/2007

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा/बागेश्वर/ पौड़ी/
उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक-26 मई, 2009

विषयः- जिला योजना की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25-3-2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2009-10 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20.10 (रू0 बीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित सारिणी एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	अल्मोड़ा	4.10
2	बागेश्वर	4.00
3	पौड़ी	4.00
4	उत्तरकाशी	4.00
5	रूद्रप्रयाग	4.00
	योगः-	20.10

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 में विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय नितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

....(2)

3– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5– धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10 महान विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना–1091 जिला योजना–25 लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3– निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त/नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
5– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर/पौड़ी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।